न्यायालय, सत्र न्यायाधीश, मधेपुरा

दाण्डिक विविध वाद संख्या–203 / 2025
सी0आईएस0 संख्या–203 / 2025

मो0 इलियास.....आवेदक

बनाम्

बिहार सरकार एवं 01 अन्य.....विपक्षीगण

12.03.2026 उपस्थापक द्वारा पत्रावली प्रस्तुत की गयी।

वाद पुकारा गया। बार–बार पुकार पर न तो आवेदक उपस्थित हुए और न हीं आवेदक की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता ही उपस्थित हुए।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत दाण्डिक विविध वाद दिनांक 16.12.2025 से ग्रहण के बिन्दु पर सुनावाई हेतु लंबित चला आ रहा है।

दिनांक 16.12.2025 को आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के मौखिक अनुरोध पर सुनवाई हेतु अगली तिथि 06.01.2026 को निर्धारित किया गया। पुनः दिनांक 06.01.2026 को आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक अनुरोध किया गया कि सुनवाई हेतु एक और तिथि देने की कृपा की जाय। तत्पश्चात पत्रावली दिनांक 11.02.2026 को सुनवाई हेतु रखा गया।

दिनांक 11.02.2026 एवं 12.03.2026 उक्त दोनों तिथियों पर आवेदक अनुपस्थित पाये गये।

इससे ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रस्तुत दाण्डिक विविध वाद में कोई अभिरूचि नहीं रह गया है।

अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में प्रस्तुत दाण्डिक विविध वाद में आवेदक की ओर से कोई बल नहीं दिए जाने के कारण निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

प्रस्तुत दाण्डिक विविध वाद को बल न देने की दशा में निरस्त किया जाता है।

बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेख नियमानुसार अभिलेखागार में जमा किया जाय।

लेखापित

12.03.26

(बलराम दूबे)
सत्र न्यायाधीश।